न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 503/2018 निर्णय दिनांक :–04.03.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. नन्दा पुत्र रामा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टॉक राजस्थान।
2. गोरधन पुत्र रामा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टॉक राजस्थान ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोक राजस्थान।
2. सुखी देवी पत्नि मांगीलाल जाति माली पनवाड तहसील देवली जिला टॉक राजस्थान।
3. शंकर पुत्र रामा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोक राजस्थान।
4. शिवराज पुत्र रामा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टॉक राजस्थान।
5. भूरी पुत्री बरदा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोक राजस्थान ।
6. मनभर पुत्री बरदा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला राजस्थान।
7. सोहनी पुत्री बरदा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टॉक राजस्थान।
8. लाली पुत्री बरदा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टॉक राजस्थान।
9. भूली पुत्री बरदा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टॉक राजस्थान ।
10. मूली पुत्री बरदा जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोक राजस्थान।

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थितिः–

श्री रामनिवास तुनगारिया
श्री अनिल कुमार भूरेटा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रमेश कुमार शर्मा
अप्रार्थीगण संख्या 2
एकपक्षीय कार्यवाही

प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 251 खसरा नम्बर 586 रकबा 1.93 है० वाके ग्राम पनवाड पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। हमारी

उक्त आराजीयात भूमि पर काश्त करने व आने जाने के लिए हमारे पास कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता नही है । इसलिये हम प्रार्थीयागण की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते अत्यधिक सख्त आवश्यकता है। हम प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 1.93 है0 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक व गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 584, 566 में बने हुये मार्ग/रास्ता के मध्य अप्रार्थी नं. 2 ता 10 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 585 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 की खातेदरी खसरा नम्बर 585 पर काबिज काश्त हैं। उक्त खसरा नम्बर में से दक्षिण दिशा की तरफ करीब 13 से 15 फीट चौडाई वाले रास्ते से हम प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु वर्षो से आते जाते रहे है और यही पर मौके पर वर्षो से रास्ता बना हुआ था। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण 2 ता 10 ने हाल ही में पत्थर गाढ कर तारबन्दी करके उक्त वर्षो से आने जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया जिससे हम प्रार्थीगण हमारी भूमि पर वर्तमान में बोई हुई उड़द की फसल को काट कर निकलवाकर घर पर नही ला पा रहें है। हम प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर 585 में नये रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक व सुलभ हैं क्योंकि हम प्रार्थीगण की भूमि व खसरा नम्बर 584 व 566 में गै. मु. रास्ता के मध्य अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 10 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 585 की भूमि से रास्ता दिये जाने पर सबसे कमी दूरी पडती है। हम प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 10 की भूमि खसरा नम्बर 585 पत्थर गाढ कर तारबन्दी कर रास्ता बन्द कर दिया तथा प्रार्थीगण को आने जाने से रोकते है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त भूमि में रास्ते अत्यन्तिक आवश्यकता हैं इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है। हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नम्बर 2 से 10 को उक्त रास्ता चाहने बाबत पारस्परिक सहमति से कहा परन्तु अप्रार्थी नम्बर 2 ता 10 सहमत नही हुये इस कारण हम प्रार्थीगण रास्ता लेने हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर रहे है। प्रार्थीगण को रास्ता / नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने से रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत अदा करने के लिए तैयार है। इस प्रार्थना पत्र के साथ हम प्रार्थीगण ने विधिवत फोरमेट में नया मार्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जैसा अधिनियम के नियमों में उल्लेखित है जो इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हम प्रार्थीगण को अपनी

खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 1.93 है0 भूमि वाके ग्राम पनवाड पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 585 रकबा 1.18 है0 के दक्षिण दिशा में से नया मार्ग/रिकार्डेड रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से श्री रमेश कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 586 रकबा 1.93है. खातेदार होना स्वीकार है, उसी प्रकार खसरा नम्बर 585 रकबा 1.18 है. अप्रार्थी नं. 2 ता 10 की खातेदारी होना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है।प्रार्थना पत्र का चरण नं. 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त कथन – प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है जो अप्रार्थी नं. 2 की भूमि खसरा नम्बर 585 रकबा 1.18है. मे से गलत तरीके से रास्ते की मांग कर रहे है। जबकि प्रार्थीगण के आने–जाने के लिए प्रार्थी नं. 1 का पुत्र व प्रार्थी नं. 2 का भतीजा भंवरलाल पुत्र नन्दा कौम माली के खसरा नम्बर 3906/582 रकबा 0.09है. व खसरा नम्बर 3908/552 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि रास्ते के खसरा नम्बर के अडवा है और उसके बाद खसरा नम्बर 581 रकबा 0.15 है0, का हैं जहां से कम डीएलसी दर कम जमा करवाकर प्रार्थी अपने पुत्र के खेत से होकर आसानी से आ–जा सकता है। परन्तु प्रार्थी ने अप्रार्थी नं. 2 के खेत से बदनियति से रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 587 रकबा 0.40 है0 से भी आ–जा सकते है जो आगे जाकर चरागाह भूमि खसरा नम्बर

588 से लगता हुआ रास्ते से जाकर मिलता है। प्रार्थीगण को आसानी से कम राजस्व दर जमा कराते हुए रास्ता मिल सकता है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बनाकर दिया गया है वह गलत है। उसमें अप्रार्थी नं. 2 की अधिक भूमि की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। जबकि उसी खसरा नम्बर में कम दूरी वाले खेत की तरफ से प्रस्तावित किया जाता तो अप्रार्थीगण की कम भूमि रास्ते में आती है। अप्रार्थी नं. 2 ने उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 585 रकबा 1.18 है0 में से 0.70 है0 भूमि अप्रार्थी नं. 3 ता 10 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। जिसमें से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी नं. 2 की क्रयशुदा भूमि मे से कम हो जायेगी। जिससे अप्रार्थी नं. 3 ता 10 को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या तहसीलदार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए मौके व रिकॉर्ड के अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। .को आवश्यकता अत्यधिक है। रास्ते की चौडाई 4.57 मीटर एवं लम्बाई 96 मी. होगी अर्थात् 438.72 मी. क्षेत्रफल होगा। रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की डीएलसी दर श्रीमान के कार्यालय से अपेक्षित है। आवेदक की आराजी ख. नं. 586 रकबा 1.93 है0 नन्दा गोरधन पुत्र रामा जाति माली सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ख. नं. 585 में से रास्ता चाहता है प्रस्तावित स्थल नक्शा ट्रेस 2 परत में लाल स्याही में अंकित कर संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते मध्य कोई संरचना नहीं है। अप्रार्थी रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है।

मोका रिपोर्ट जमाबन्दी नकले नक्शा ट्रेस सलग्न कर श्रीमान की सेवा में पेश है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थी को किसी भी तरह से रास्ता दिलाये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि की जबकि प्रार्थीगण के आने–जाने के लिए प्रार्थी नं. 1 का पुत्र व प्रार्थी नं. 2 का भतीजा भंवरलाल पुत्र नन्दा कौम माली की भूमि है जहां से कम डीएलसी दर जमा करवाकर प्रार्थी अपने पुत्र के खेत से होकर आसानी से आ–जा सकता है परन्तु प्रार्थी ने अप्रार्थी नं. 2 के

खेत से बदनियति से रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 587 से भी आ–जा सकते है जो आगे जाकर चरागाह भूमि खसरा नम्बर 588 से लगता हुआ रास्ते से जाकर मिलता है। प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने केवल बदनियति से वाद पेश किया जो खारिज योग्य है।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण काफी पुराना है पुनः मौके की रिपोर्ट पेश होने पर वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी।

बहस के दौरान अप्रार्थी नं. 2 व तहसीलदार द्वारा उठाये गये बिन्दूओं की स्पष्टता हेतु पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके तथ्य इस प्रकार हैः–प्रार्थीगण के ख. नं. 586 के पश्चिम दिशा में सटकर ख. नं. 581 रकबा 0.15 है0बारानी प्रथम स्थित है जो खातेदार मूलचन्द नारायण पुत्र माती हि. 2/3 रामलक्ष्मण पुत्र नाथी प्रभती, पारी बरदी पुत्री गुलाब देवी पत्नी रामकिशन हि. 1/3 जाति माली सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख. नं. 581 व गै. मु. रास्ते ख. नं. 583 के मध्य ख. नं. 3906/582 रका 0.09 है0 किस्म बा. प्रथम व ख. नं. 3908/582 रकबा 0.08 है0 किस्म बारानी प्रथम स्थित है जो नन्दा पुत्र रामा माली के पुत्र भंवरलाल पुत्र नन्दा जाति माली सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनो ख. नं. में भी वर्तमान में फसल काश्त है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पेर पुनः बहस सुनी गई, जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ख. नं. 585 से ही रास्ता चाहा गया है जिसका अप्रार्थीगण नं. 2 के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया तथा ख. नं. 3906/582 व 3908/582 व 581 से रास्ता प्रार्थीगण को दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर दृष्टिगत है कि तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजियात ख. नं. 586 वाके ग्राम पनवाड़ में जाने के लिए गै. मु. रास्ता ख. नं. 584 व 566 से ख. नं. 585 रकबा 1.18 है0 में से रास्ता चाहता है। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 2 के जवाब व बहस अनुसार प्रार्थीगण के आने–जाने के लिए प्रार्थी नं. 1 का पुत्र व प्रार्थी नं. 2 का भतीजा भंवरलाल पुत्र नन्दा कौम माली के खसरा नम्बर 3906/582 रकबा 0.09है. व खसरा नम्बर 3908/552 रकबा 0.08है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.17है. भूमि रास्ते के खसरा नम्बर के अडवा है और उसके बाद खसरा नम्बर 581 रकबा 0.15

है0, का हैं जहां से कम डीएलसी दर कम जमा करवाकर प्रार्थी अपने पुत्र के खेत से होकर आसानी से आ–जा सकता है। प्रार्थीगण को आसानी से कम राजस्व दर जमा कराते हुए रास्ता मिल सकता है।

उक्त का विवेचन करने से यह तथ्य सामने आते है कि प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 586 गै. मु. रास्ते के मध्य ख. नं. 581 तथा 581 के अड़वा खसरा नम्बर 3906/582 रकबा 0.09है. व खसरा नम्बर 3908/552 रकबा 0.08 है0 है। और खसरा नम्बर 3906/582 रकबा 0.09है. व खसरा नम्बर 3908/552 रकबा 0.08है. व प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यो के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थी इन ख. नं मे से निकलकर ख. नं. 581 मे से रास्ता ले सकता है जिसमें 251 ए की मंशा के अनुरूप लघुतम दूरी है। इस बाबत बहस के दोरान अधिवक्ता प्रार्थीगण को उक्तानुसार व 251 ए के प्रावधानो के अनुसार रास्ता लेने हेतु कहा गया परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी ने इसे अस्वीकार कर दिया। जबकि आर.टी.ए की धारा 251 ए में लघु से लघुतम दूरी के लिए रास्ता दिये जाने स्पष्ट प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र व तहसीलदार रिपोर्ट 251 ए के प्रावधानो के अनुरूप नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में 04.03.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली